

बिहार सरकार
अनुसूजाति एवं अनुसू जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0-4 / निदे0आ0वि0संधा0(वे0आ0)-181-02 / 2026-152

प्रेषक,

निदेशक

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-16/09/2026

विषय—वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में कुल ₹1,16,67,500/- (एक करोड़ सोलह लाख सड़सठ हजार पाँच सौ रु0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में कुल ₹1,16,67,500/- (एक करोड़ सोलह लाख सड़सठ हजार पाँच सौ रु0) मात्र की आवंटन दी जाती है।

2—कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में आय व्यय शीर्ष माँग सं0-44-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0003-आवासीय विद्यालय-विषय शीर्ष-0003.27.02-अनुरक्षण एवं मरम्मत मद विपत्र कोड सं0-44-2225012770003 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3—इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4—वित्त विभाग के पत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5—संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

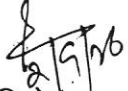
6—संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए किया जाएगा।

7—आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित जिला के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8—इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

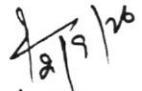
9—कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,


निदेशक

ज्ञापांक-4 / निदे0आ0वि0संधा0(वे0आ0)-181-02 / 2026- 152 पटना, दिनांक-16/09/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/संबंधित जिला के कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला के उप कोषागार पदाधिकारी/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अनु0
जाति के आवासीय विद्यालयों में अनुरक्षण मरम्मति मद में आवंटित
राशि की विवरणी
2225012770003
(राशि रू0 में)

क्र0सं0	जिला	अनुरक्षण एवं मरम्मति (27.02)
1	2	3
1	अररिया	2,24,375
2	अरवल	2,24,375
3	औरंगाबाद	2,24,375
4	बाँका	2,24,375
5	बेगुसराय	2,24,375
6	भागलपुर	2,24,375
7	बक्सर	2,24,375
8	दरभंगा	2,24,375
9	पू0 चम्पारण	2,24,375
10	गया	13,46,250
11	गोपालगंज	2,24,375
12	जमुई	2,24,375
13	जहानाबाद	2,24,375
14	भभुआ	4,48,750
15	खगड़िया	2,24,375
16	किशनगंज	2,24,375
17	लखीसराय	2,24,375
18	मधेपुरा	2,24,375
19	मधुबनी	6,73,125
20	मुँगेर	2,24,375
21	मुजफ्फरपुर	4,48,750
22	नालंदा	4,48,750
23	नवादा	6,73,125
24	पटना	6,73,125
25	पूर्णियाँ	2,24,375
26	रोहतास	4,48,750
27	सहरसा	2,24,375
28	समस्तीपुर	4,48,750
29	सारण	2,24,375
30	शेखपुरा	2,24,375
31	सीतामढ़ी	2,24,375
32	सीवान	2,24,375
33	सुपौल	2,24,375
34	वैशाली	2,24,375
35	प0 चम्पारण	4,48,750
	कुल योग	1,16,67,500

कुल (एक करोड़ सोलह लाख सड़सठ हजार पाँच सौ रू0) मात्र

पत्रांक- 152

दिनांक- 16/09/2026

का अनुलग्नक

निदेशक